

(भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 06/2024-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2024

सा.का.नि.(अ).— केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 50/2017 सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो संख्यांक सा.का.नि. 785 (अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

I. सारणी में, -

- (1) क्रम सं. 237 के सामने, स्तंभ (3) में, कॉलम (3) में, परंतुक में अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (2) क्रम सं. 340 के सामने, स्तंभ (3) में, कॉलम (3) में, परंतुक में अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (3) क्रम सं. 368 के सामने, स्तंभ (3) में, कॉलम (3) में, परंतुक में अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (4) क्रम सं. 374 के सामने, स्तंभ (3) में, कॉलम (3) में, परंतुक में अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (5) क्रम सं. 375 के सामने, स्तंभ (3) में, कॉलम (3) में, परंतुक में अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

- (6) क्रम सं. 403 के सामने, स्तंभ (3) में, कॉलम (3) में, परंतुक में अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (7) क्रम सं. 479 के सामने, स्तंभ (3) में, कॉलम (3) में, परंतुक में अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (8) क्रम सं. 527क के सामने, स्तंभ (3) में, कॉलम (3) में, परंतुक में अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (9) क्रम सं. 527ख के सामने, स्तंभ (3) में, कॉलम (3) में, परंतुक में अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

II. दूसरे परंतुक में अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

[फा सं. 190352/01/2024-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना :50/2017- सीमा शुल्क, तारीख 30 जून 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में सा.का.नि. सं. 785 (अ) तारीख 30 जून 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना 03/2024- सीमा शुल्क, तारीख 22 जनवरी, 2024 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i),में सा.का.नि. सं. 53 (अ) 22 जनवरी, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई।